

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(4)न्याय/2021


जयपुर, दिनांक: 12.1.2022

:: आज्ञा ::

राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 के नियम 28 के अन्तर्गत सहायक विधि परामर्शी की वर्ष 2021-22 के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 10.01.2022 को आयोजित की गई। विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के अनुसार निम्नलिखित वरिष्ठ विधि अधिकारी का चयन वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर होने के फलस्वरूप इन्हें सहायक विधि परामर्शी के पद पर वेतन श्रृंखला PB-3, 15600-39100 GP-16, (6000) L-15 में एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-


क्र.सं.	नाम अधिकारी	रिक्ति की दिनांक	क्र.सं.	नाम अधिकारी	रिक्ति की दिनांक
1.	गिरवर सिंह	01.04.2021	16.	साधना मिश्रा	01.04.2021
2.	हिमांशु भाटिया	01.04.2021	17.	अजय अग्रवाल	01.04.2021
3.	हिमांशु शर्मा	01.04.2021	18.	शबाना कुरेशी	01.04.2021
4.	सुखदेवसिंह	01.04.2021	19.	रुचि अग्रवाल	01.04.2021
5.	भारती शर्मा	01.04.2021	20.	कपिल शर्मा	01.04.2021
6.	धर्मपाल शर्मा	01.04.2021	21.	मनोज कुमार गुप्ता	01.04.2021
7.	सुमित शर्मा	01.04.2021	22.	ताराचंद खेतावत	01.04.2021
8.	तरुण दाधीच	01.04.2021	23.	वैशाली पाठक	01.04.2021
9.	अनामिका भूषण	01.04.2021	24.	मनोज बंशीवाल, अजा	01.04.2021
10.	जगमोहन मित्रुका	01.04.2021	25.	ओमप्रकाश	01.04.2021
11.	सविता गहलोत	01.04.2021	26.	आर.एस. लखावत	01.04.2021
12.	रेखा चौधरी	01.04.2021	27.	रेखा मीणा, अजजा	01.04.2021
13.	शैलेन्द्र रंगा	01.04.2021	28.	हेमन्त कुमारी, अजा	01.04.2021
14.	सुरेश अग्रवाल	01.04.2021	29.	रमेश चन्द्र मीणा, अजजा	01.04.2021
15.	सुचित्रा चौधरी	01.04.2021	30.	वंदना मीणा, अजजा	01.04.2021

उपरोक्त अधिकारियों का पदोन्नति पर पदस्थापन यथावत रखा जाता है।

आज्ञा से

(प्रवीर भटनागर)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. उपरोक्त सभी संबंधित अधिकारी/कर्मचारीगण को प्रेषित कर लेख है कि सभी अधिकारीगण कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट भी इस विभाग को अविलम्ब भिजवाये।
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।


(पुरुषोत्तम लाल सेनी)
संयुक्त शासन सचिव